

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.जा.) वाडमेर

पीठासीन अधिकारी-श्री यशार्थ शेखर, आई.ए.एस

दिनांक - 20.02.26

क्रमांक रीडर/2026/767

प्रार्थीगण

बनाम

अप्रार्थीगण

1 चेतनराम पुत्र रामलाल 2
जोगाराम पुत्र गुमनाराम 3
भूरी देवी पत्नि गुमनाराम
जाति मेघवाल निवासी
नवजी का पाना तहसील
बाडमेर ग्रामीण जिला
बाडमेर।

1 अगरी पत्नि भंवरा 2 जगदीश कुमार पुत्र भंवरा 3
जेरामा पुत्रद करना 4 नरपत पुत्र भंवरा 5 भीखा पुत्र
करना जाति मेघवाल 6 विरधाराम पुत्र खूमाराम 7
डालूराम 8 हुकमाराम पिसरान राचन्द्र 9 पलाद 10
मेराज पिसरान काछबा जाति जाट निवासी नवजी का
पाना तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :-847/2025

दिनांक-

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा नवजी का पाना पटवार क्षेत्र भुरटिया तहसील बाडमेर
ग्रामीण जिला बाडमेर के खसरा संख्या 689 रकबा 0.0647 हैक्टेयर, खसरा संख्या 690 रकबा
0.0647 हैक्टेयर, खसरा संख्या 933/691 रकबा 2.2177 हैक्टेयर, भूमि के चारो तरफ पक्के
नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण को कमीशनर नियुक्त
किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के
जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही
करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की
उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये
मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(यशार्थ शेखर)

उपखण्ड अधिकारी
बाडमेर

दिनांक- 20.02.26

क्रमांक :- रीडर/2026/768-71

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी भुरटिया तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी चेतनराम पुत्र रामलाल जाति मेघवाल निवासी नवजी का पाना तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर।
4. विप्रार्थीगण अगरी पत्नि भंवरा जाति मेघवाल निवासी नवजी का पाना तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर।

उपखण्ड अधिकारी
बाडमेर